AAI/M (Plg)/Tech-Circular/2010 Dated: 03.05.2010

TECHNICAL CIRCULAR

Sub: Recovery of Mobilization Advance beyond stipulated contract period.

Generally in contracts, costing more than 50 lakhs, provision of mobilization advance are stipulated against submission of BG's issued by Scheduled banks but not Cooperative / Gramins banks. Advance payments are made at interest rate of 10% simple interest with specified recovery schedule.

During execution of one of the project work it is observed that the contractor repeatedly requested the department to reschedule the recovery of Mobilization Advance since the work progress had been delayed and balance of on-account payment was less due to recovery of mobilization advance as per agreement provisions.

Recovery of Mobilization Advance in normal circumstances is dealt in terms of provisions contained in Technical Instruction No. 17 dated 27 May' 2008, which provides for recovery of the sums advanced and of interest thereon by deduction from the on-account payments in suitable percentages in relation to the stipulated period of completion in a manner that 100% of the amount advanced plus interest due shall be recovered upto 3/4th of the stipulated period of completion. Presently stages are as follows:

i) 25% of the amount advance plus interest due upto ¼th of the stipulated period of the completion.

ii) 60% of the amount advance plus interest due upto ½th of the stipulated period of the completion.

iii) 100% of the amount advance plus interest due upto 3/4th of the stipulated period of the completion.

However, in rare cases, wherein progress of work is delayed beyond stipulated period of completion due to reasons beyond control, deferment in recovery of mobilization advance with accumulated interest thereon may be considered by the Technical Sanctioning Authority at an enhanced rate of interest i.e. 15% per annum with recovery of outstanding mobilization amount @50% of gross value of running account bill(s), subject to Engineer In-Charge certifying that deferment towards recovery of outstanding advance is proposed in the overall interest of the project and is necessitated to improve the progress of work.

All other conditions shall remain same as mentioned in Technical Instruction no. 17.

(S.Raheja)
Member (Planning)

Distribution: As per enclosed list.

संख्या: भाविप्रा/सदस्य(योजना)/तकनीक-परिपत्र/2010 दिनांक: 03.05.2010

तकनीकी परिपत्र

विषय : अनुबद्ध करार अवधि के पश्चात् मोबिलाइजेशन अग्रिम की उगाही

50 लाख से अधिक की लागत वाले करारों में सामान्यतः सहकारी/ ग्रामीण बैंकों के अन्यथा अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी बी जी के जमा करने पर मोबिलाइजेशन अग्रिम अनुबंधित किए जाते हैं । यह अग्रिम भुगतान 10% की सामान्य ब्याज दर पर तथा निर्धारित उगाही समयावधि के साथ किया जाता है ।

एक परियाजेना कार्य के निष्पादन के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार ने मोबिलाइजेशन अग्रिम की उगाही को टालने का विभाग से बार-बार अनुरोध किया क्योंकि कार्य की प्रगति धीमी थी तथा करार के प्रावधानों के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम की उगाही के कारण ऑन एकाउंट पेमेंट का शेष कम था ।

सामान्य परिस्थितियों में मोबिलाइजेशन अग्रिम की उगाही को तकनीकी अनुदेश सं0 17 दिनांक 27 मई 2008 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहृत किया जाता है । जिसके अनुसार अग्रिम राशि तथा उस पर ब्याज की उगाही कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित अवधि के अनुपात में उपयुक्त प्रतिशत में ऑन एकाउंट पेमेंट में से कटौती द्वारा की जाती है । यह इस प्रकार किया जाता है कि देय ब्याज सहित अग्रिम राशि की 100% उगाही कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित अवधि के 3/4 अवधि तक हो जानी चाहिए । इस समय, इसके चरण इस प्रकार हैं :-

I. देय ब्याज सहित अग्रिम राशि का 25% काम समाप्त होने की अनुबंधित अवधि के 1/4 समय तक ।

II. देय ब्याज सहित अग्रिम राशि का 60% काम समाप्त होने की अनुबंधित अवधि के 1/2 समय तक ।

III. देय ब्याज सहित अग्रिम राशि का 100% काम समाप्त होने की अनुबंधित अवधि के 3/4 समय तक ।

हालांकि, कुछ मामलों में, जहां अपने नियंत्रण से बाहर कारकों के कारण कार्य की प्रगति में, समाप्ति की अनुबंधित अवधि से ज्यादा देर हो जाती है, संचित ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की उगाही को टालने पर तकनीकी संस्तुति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा । इस पर 15% वार्षिक की दर से बढ़ा हुआ ब्याज तथा चालू लेखा बिलों के सकल मूल्य का 50% की दर से बकाया मोबिलाइजेशन राशि की उगाही की जाएगी । बशर्ते कि प्रभारी अभियंता यह प्रमाण पत्र दे कि बकाया अग्रिम की उगाही को टालना परियोजना के समग्र हित में है तथा कार्य की प्रगति को सुधारने के लिए आवश्यक है ।

अन्य सभी शर्तें तकनीकी अनुदेश सं0 17 के समान ही रहेंगी ।

एस. रहेजा 03/05/10
(एस. रहेजा)
सदस्य (योजना)

वितरण : संलग्न सूची के अनुसार